राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 663वीं बैठक दिनांक 27/07/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :—

- 1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
- 3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
- 4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
- 5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
- डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No 7645/2020 Shri PUSHPENDRA, Owner, S/o Dulichandra H.No. 02, Bajrang enterprises ke pass Majhguwan, Kerbana Sagar (M.P.) 470337 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (15000 cum per annum) (Khasra No. 190), Village - Hathkoh, Tehsil - Devri, Dist. Sagar (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री पुष्पेन्द्र एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्धाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. द्वारा दिनांक 27/07/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri PUSHPENDRA, Owner, S/o Dulichandra H.No. 02, Bajrang enterprises ke pass Majhguwan, Kerbana Sagar (M.P.) 470337	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	190 (सरकारी—नॉन फॉरेस्ट भूमि) चारागाह 2.00 Ha.	
स्थल	ग्राम Hath Khoh तसहील Deori जिला SAGAR (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 1437 दिनांक	
	11 / 09 / 2018 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी–1 Stone Quarry	
टॉर	समिति की पूर्व की 460वीं बैठक दिनांक 24/09/20 में उत्पादन क्षमता	
	पत्थर—15,000 के लिए टॉर की अनुशंसा की गई थी ।	

ब्लास्टिंग / रॉक	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार खनन् कार्य में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
ब्रेकर	जिनुसायत जगर् वाजमा जनुसार जगर् काव म व्यारिटम प्रस्तावत है ।	
नया / क्षमता विस्तार नया प्रोजेक्ट।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—37,500 टीपीए हेतु आवेदन किया गृया है	
	और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु	
	स्वीकृत है।	
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 41 दिनांक	
में अन्य खदानें	17/01/20 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 08 अन्य खदानें	
	संचालित / स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 27.48 हे. होता है, अतः	
	प्रकरण बी–1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 1437 दिनांक	
अनापत्ति	11 / 09 / 2018 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल	
	पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन	
	क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
त्हसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 1437 दिनांक	
अनापितत	11/09/2018अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक	
	संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे	
	लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील	
	क्षेत्रों जैसेः रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अङ्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं	
	जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण	
	कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम		
पंचायत की अनापत्ति	प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।	
	,	
गूगल इमेज अनुसार	उत्तर पश्चिम दिशा– प्राकृतिक नाला ६९ मीटर	
वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा— बांध 262 मीटर, खदान से लगी हुई एक हॉलेज रोड़ है ।	
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की जनसुवाई में खदान के पास खेती की जमीन है, धूल	
3 `	की समस्या, जल छिडकाव, वृक्षारोपण, मजदूरो के स्वास्थ्य की समस्या,	
	रोजगार इत्यादि आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन	
	योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट		
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक—329 पर दर्ज है ।	
पग रिस्वात	जिनुनादित नेपान जिला सपदार्थ रिपाट के सरल क्रमाक—329 पर देज हैं ।	

प्रकरण का परीक्षण :--

1. टार में दिये गये बिन्दुओं पर चर्चा की गई तथा समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

- 2. टार में टी जंक्शन के पास स्पीड ब्रेकर का प्रावधान किये जाने का उल्लेख था जो कि ईएमपी में कर दिया गया है।
- उन्हार प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान सिमित ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :--

- 1. परियोजना भूमि शासकीय चारागाह में उल्लेखित है अतः समतुल्य भूमि ग्राम पंचायत की सहमति से उसी खसरे पर चारागाह का विकास किया जाये।
- 2. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन—15,000 मी³ प्रति वर्ष।
- 3. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 6.29 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 2.86 लाख प्रति वर्ष ।
- 4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
चिरचिटाखुखज् शासकीय प्राथमिक शाला में डेस्कटॉप (प्रिंटर के साथ) की व्यवस्था	75,000
ग्राम हथखोह के पास स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण	25,000
योग	1,00,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफ़ेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय	100

		प्रजातियां	
2	गैर खनन् क्षेत्र में	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफ़ेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजाति	485
3	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
4	ग्रामवासियो में वितरण हेतु) ग्राम पंचायत चिरचिटाखुखजू	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
5	ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत चिरचिटाखुखजू के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
6	ग्राम पंचायत चिरचिटाखुखजू के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	215
गारत	नेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के	बन्ड पर स्थानीय बीज बोए जाकर उनका संरक्षण	किया जायेगा।
		कुल	2000

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

2. <u>Case No 7643/2020 Smt. Meera Patel W/o Shri Dulichand, House No. 67, Gram Mujhgawan, Post Karrapur Kerbana, Dist. Sagar, MP – 470226 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (50000 cum per annum) (Khasra No. 212), Village - Hathkoh, Tehsil - Devri, Dist. Sagar (MP)</u>

परियोजना प्रस्तावक मीरा पटेल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्धाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा उ.प्र. द्वारा दिनांक 27/07/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक,	MEERA PATEL, Owner, W/o Duli Chand, House No. 67, Gram
परियोजना / कम्पनी	Majhguwan, Post Karrapur, Kerbana, Sagar, Madhya Pradesh

का नाम व पता	470337	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	212 (सरकारी—नॉन फॉरेस्ट भूमि) —	4.00 Ha.
(सरकारी / निजी)	चारागाह	
स्थल	Village - Hathkoh, Tehsil - Devri,	
लीज स्वीकृति		जिला सागर के पत्र कमांक 3960–61
	दिनांक 20/02/14 के द्वारा स्वीकृत	1
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी–1 Stone Quarry	
टॉर	सिमिति की पूर्व की 460वीं बैठक वि	देनांक 24/09/20 में उत्पादन क्षमता
	पत्थर–50,000 के लिए टॉर की अनुशं	सा की गई थी ।
ब्लास्टिंग / रॉक	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार खन	न् कार्य में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
ब्रेकर		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—50,	.000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया
	गया है और अनुमोदित खनन योजन	ा अनुसार पत्थर—50,000 घनमीटर / वर्ष
	हेतु स्वीकृत है।	9
500 मीटर की परिधि	<u> </u>	
में अन्य खदानें	390 दिनांक 14/08/2020 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 10 अन्य खदानें	
	संचालित / स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 38.48 हे. होता है, अतः	
	प्रकरण बी–1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी	·	
की अनापत्ति	390 दिनांक 14/08/2020 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल	
		न जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन
	क्षेत्र स्थित नहीं है ।	7 37 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
त्हसीलदार की		नला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक
अनापत्ति		500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट,
-1 11 11 11		तत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक,
		शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/
		देशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा
		तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर /
	ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम		
पंचायत की अनापत्ति		
गूगल इमेज अनुसार		अधिक दरी पर प्राकतिक नाला है।
वर्तमान स्थिति		Kill IX Shi Fixta IIXII 61
-731 II 1 139HM		

जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की जनसुवाई में धूल की समस्या, जल छिडकाव, वृक्षारोपण,	
	मजदूरो के स्वास्थ्य की समस्या, रोजगार इत्यादि आपत्तियाँ / सुझाव प्राप्त	
	हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ	
	शामिल किया गया है ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की	
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक—145 पर दर्ज है ।	

प्रकरण का परीक्षण :-

- 1. टार में दिये गये बिन्दुओं पर चर्चा की गई तथा समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।
- 2. टार में टी जंक्शन के पास स्पीड ब्रेकर का प्रावधान किये जाने का उल्लेख था जो कि ईएमपी में कर दिया गया है।
- उन्हार अनुराण के प्रस्तुतीकरण के दौरान सिमित ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. परियोजना भूमि शासकीय चारागाह में उल्लेखित है अतः समतुल्य भूमि ग्राम पंचायत की सहमति से उसी खसरे पर चारागाह का विकास किया जाये।
- 2. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन—50,000 मी³ प्रति वर्ष।
- 3. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 6.52 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 2.81 लाख प्रति वर्ष ।
- 4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 / 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम हथकोह के आंगनवाड़ी केंद्र में पापड बनाने की मशीन की व्यवस्था	75,000
ग्राम हथखोह के पास स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण	25,000
योग	1,00,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4000.वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफ़ेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	100
2	गैर खनन् क्षेत्र में	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफ़ेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	485
3	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1000
4	ग्रामवासियो में वितरण हेतु) ग्राम पंचायत चिरचिटाखुखजू	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1000
5	ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत चिरचिटाखुखजू के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1000
6	ग्राम पंचायत चिरचिटाखुखजू के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	415
गारत	नेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के	बन्ड पर स्थानीय बीज बोए जाकर उनका संरक्षण	किया जायेगा।
		कुल	4000

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

3. Case No 10025/2023 Shri Pavan Patidar S/o Shri Ram Chandra Ji Patidar, R/o Village-Magrana, Tehsil-Malhargarh, District-Mandsaur (MP)-458556 Prior Environment Clearance for Dodiyameena Stone (Gitti) Quarry in an area of 2.00 ha.

(30050 cum per year) (Khasra No. 566), Village-Doriyamina, Tehsil-Malhargarh, District-Mandsaur (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री पवन पाटीदार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्धाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा, उ.प्र. द्वारा दिनांक 27 / 07 / 23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri PAVAN PATIDAR, Owner, S/O SHRI RAM CHANDRA JI PATIDAR R/O VILLAGE-MAGRANA TEHSIL-MALHARGARH DISTRICT-MANDSAUR (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	566 (सरकारी—नॉन फॉरेस्ट भूमि) 2.00 Ha	
स्थल	Village: Dodiyameena, Tehsil- Malhargarh & District: Mandsaur, (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 2236 दिनांक 14/11/19 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी–1 Stone (Gitti) Quarry	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार खनन् कार्य में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का	डिया मंदसौर के पत्र क्रमांक 19 दिनांक 10/05/16 अनुसार 30,050	
विवरण (यदि लागू	घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है ।	
हो)		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—30,050 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया	
	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—30,0047.55 घनमीटर / वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र	
में अन्य खदानें	क्रमांक 891 दिनांक 19/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य	
	खदानें संचालित / स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 07.500 हे. होता	
	है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण–पत्र	
की अनापत्ति	क्रमांक 891 दिनांक 19/05/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में	
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर	
	में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
त्हसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र	
अनापत्ति	क्रमांक 891 दिनांक 19/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव	
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के	

	स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/ स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत डोडियामीना जिला मंदसौर के टहराव प्रस्ताव अनुसार
	प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार	उत्तर दिशा– आबादी 370 मीटर
वर्तमान स्थिति	दक्षिण पूर्व दिशा— जल रोकने की संरचना 228 मीटर, दक्षिण दिशा —आबादी 308 मीटर
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक–86 पर दर्ज है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:—

- 1. प्रश्नाधीन खदान को पूर्व में डिया से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है अतः डिया की अन्य शर्तों के साथ विगत वर्षों में खनिज का कितना उत्पादन कार्य किया गया उसका वर्षवार विवरण, फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तों का पूर्णतः पालन प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 2. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन विडियोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- खदान मे पर्यावर्णीय स्वीकृति की शर्तो का कोई पालन परिलक्षित नही दिख रहा है, अतः भविष्य मे कैसे सुनिश्चित करेंगे कि 01–02 वर्ष मे पर्यावर्णीय स्वीकृति की शर्तो का पालन करेंगे।
- 4. प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा— आबादी 370 मीटर, दक्षिण दिशा —आबादी 308 मीटर एवं दक्षिण पूर्व दिशा— जल रोकने की संरचना 228 मीटर है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 6. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 8. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

- 9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 4. <u>Case No 10021/2023 Shri Rajendra Deshmukh, Lessee, R/o Sarafa Market, Sant Vinova Ward-4, Tehsil-Amla District-Betul (MP)-460551, Prior Environment Clearance for Morandhana Stone Quarry in an area of 1.74 ha. (15000 cum per year) (Khasra No. 20), Village-Morandhana, Tehsil-Amla, District-Betul (MP)</u>

परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र देशमुख एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राधव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज द्वारा दिनांक 27/07/28 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी	Shri RAJENDRA DESHMUKH, Lessee, R/o-Sarafa Market Sant Vinova ward-4 Amla, Tehsil- Amla, District- Betul, (M.P)	
का नाम व पता खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	20 (निजी—नॉन फॉरेस्ट भूमि— 1.74 hectares परियोजना प्रस्तावक स्वयं की)	
स्थल लीज स्वीकृति	Village Morandhana, Tehsil-Aamla, District-Betul (M.P.) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 747 दिनांक 24 / 04 / 23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी—1 / बी—2) नया / क्षमता विस्तार	बी—2 Stone Quarry नया प्रोजेक्ट ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार खनन् कार्य में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—15,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—15,000 घनमीटर / वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 997 दिनांक 12/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिसे मिलाकर कुल रकबा 02.549 हे. होता है, अतः	

	प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी	
की अनापत्ति	997 दिनांक 12/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल
	पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन
	क्षेत्र स्थित नहीं है ।
त्हसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक
अनापत्ति	997 दिनांक 12/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट,
	शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक,
	रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा
	संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/ स्टॉप डैम/ नहर/
	ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत ससाबड़ जिला बैतूल के टहराव प्रस्ताव क्रमांक—2 दिनांक
पंचायत की अनापत्ति	21/02/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई
	आपित्त नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान	खदान क्षेत्र में कुल 08 पेड़ दिखाई दे रहे हैं।
रिथति	Tree Felling - 04
	Additional tree to be planted -40
गूगल इमेज अनुसार	आवंटित खदान पठार पर स्थित है ।
वर्तमान स्थिति	उत्तर पूर्व दिशा— कच्चा रोड़ 230 मीटर एवं प्राकृतिक नाला 60 मीटर पर
	है।
	दक्षिण दिशा— कच्चा रोड़ 180 मीटर
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	·
की स्थिति	12 / 06 / 23 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त नवीन उत्खनिपट्टा को
	संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जावेगा ।
	समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण
	समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22
	(प्रकरण में 9261 / 2022 — जारी पत्र कमांक 1306 दिनांक 04 / 08 / 22) में
	लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता
	के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया
	जाये ।

प्रकरण का परीक्षण :--

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिस क्षेत्र में पेड़ लगे हुए हैं वह क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र अंकित किया गया है जिसे सरफेस मैप में भी दिखाया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन–15,000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.01 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.17 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद मेंप्रस्तावितगतिविधि	राशि रू. में
माध्यमिक शाला ग्राम मोरन ढाना में पानी की व्यवस्था के लिए विद्यालय के परिसर में लगे पुराने बंद हैंडपंप की मर्रमत करवाई जावेगी एवं रिचार्ज पिट बनवाया जावेगा	
योग	50,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 4680 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियतस्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोन गैर खनन क्षेत्र में वृक्षारोपणमें	काला सिरिस, सफेदसिरिस, खमेर, आम, नीम, आमला, पीपल, सिस्सू, बबूल, जंगल जलेबी, करंज , सीताफल, चिरोलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	800
2	परिवहनमार्गमें	नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर ,,पीपलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँट्री—गार्ड के साथ	200
3		नीम, सिस्सू, करंज,पीपल, कदम्ब, चिरोल, पाकर ,,आदिएवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	50
4	ग्रामीणोंमेंपौधोकावितरण	संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा , कटहलआदि एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1050
गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बन्ड पर स्थानीय बीज बोए जाकर उनका संरक्षण किया जायेगा।			

कुल वृक्षारोपण	4680
----------------	------

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

5. Case No 10022/2023 Shri Anil, Owner, R/o Village-Bairagarh, Tehsil-Shyampur, District-Sehore (MP)-466651, Prior Environment Clearance for Kakariya Meena Crusher Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (10889 cum per year) (Khasra No. 784/1), Village - Kankariya, Tehsil-Narsinghgarh, District-Rajgarh (MP) परियोजना प्रस्तावक श्री अनिल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा.) लि. नोयडा (उ.प्र.) एवं भूमि स्वामी श्री अरूण शर्मा भी दिनांक 27/07/2023 को उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / क0 / संस्थान का नाम व पता परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	Shri Anil, Owner, R/o Village-Bairagarh, Tehsil-Shyampur, District-Sehore (MP)-466651, Prior Environment Clearance for Kakariya Meena Crusher Stone Quarry in an area of 1.74 ha. (15,000 cum per year) (Khasra No. 784/1), Village - Kankariya, Tehsil-Narsinghgarh, District-Rajgarh (MP) [432889]. निजी कृषि भूमि	
परियोजना की श्रेणी (बी–1 / बी–2)	तह.— नरसिंहगढ़, जिला—राजगढ़ (म.प्र.). बी—2 Stone Quarry	
खनन् कार्यः ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	कंट्रोल मफल ब्लास्टिंग की जावेगी। (परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार)।	
प्रकरण की स्थिति (नया / क्षमता विस्तार)	नया	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन — 10,889 मी ³ / वर्ष हेतु (परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार) आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार स्टोन — 10,889 मी ³ / वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
सैद्वांतिक सहमति / LOI	पत्र क0. 268 दिनांक 12 / 04 / 2023.	

परियोजना के 500 मीटर की	,
परिधि में संचालित /स्वीकृत	प्रमाण-पत्र क्रमांक 412 दिनांक 01/06/2023 अनुसार 500
अन्य खदानों का विवरण	मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित / स्वीकृत नही है,
	जिनका कुल रकबा 1.74 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के
	अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ	वनसंरक्षक सामान्य वनमण्डल राजगढ़ के पत्र 412 दिनांक
की एनओसी	01/06/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल
	पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250
	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व	कार्यालय कलेक्टर जिला राजगढ़ द्वारा पत्र क्रमांक 412 दिनांक
जानकारी	01/06/2023 अनुसार अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय
	महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान
	घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन,
	दूरदर्शन, हवाई अंड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय
	निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण पक्का
	रास्ता / नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की	ग्राम पंचायत कांकरिया, जिला राजगढ़ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक
अनुमति	03 दिनांक 26 / 01 / 2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन्
	कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज	दक्षिण दिशा— पक्का रोड — 215 एवं 248 मीटर
अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक	दक्षिण—पश्चिम दिशा — 01 या 02 मकान 96 मीटर
आवश्यक हो)	पूर्व दिशा— 01 या 02 मकान 300 मीटर
	कर निकल रहा है जो पास के मकान दक्षिण पूर्व दिशा पर
	जाकर खत्म हो रहा है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल
ाजला राजवान स्वाट प्रमास्वारा	प्रमाण-पत्र क्रमांक ४१२ दिनांक ०१/०६/२०२३ द्वारा उल्लेखित
	, ,
	है कि उक्त खदान का नाम नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे जोड़ी
	जावेगी।

प्रकरण का परीक्षण :-समिति द्वारा नोटरी के माध्यम से प्रमाणित अनुबंध पत्र एवं खनन योजना का अवलोकन किया गया तथा परीक्षण उपरांत समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक से निम्न जानकारी चाही गई :

1. पटवारी से 2-3 वर्ष का कृषि उत्पादन का ब्यौरा।

- खदान से प्रमुख मार्ग तक पहुँचने हेतु प्रस्तावित परिवहन मार्ग में से जिन कृषकों के खेत लगे हुए हैं उनको किसी प्रकार की आपित्त नहीं होने संबंधी प्रमाणित सहमित पत्र प्रस्तुत किया जाये।
- 3. परिवहन मार्ग पर छिड़काव हेतु जल स्त्रोत की जानकारी के साथ पानी प्रदाय संबंधी ग्राम पंचायत से स्वीकृति पत्र।
- 6. Case No 10023/2023 Shri Kuldeep Udainiya, Lessee, R/o 01, Simrapatti, Bahoriband, District-Katni (MP)-483330, Prior Environment Clearance for Sihora Stone Quarry in an area of 3.65 ha. (24997 cum per year) (Khasra No. 28 Part), Village-Sihora, Tehsil-Jabalpur, District-Jabalpur (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री कुलदीप एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राधव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज द्वारा दिनांक 20/07/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri KULDEEP UDAINIYA, LESSEE, 01 Simrapatti Bahoriband, Katni, District- Kartni (M.P.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	28 part (सरकारी—नॉन फॉरेस्ट भूमि) — पहाड़ 03.650 hectares		
स्थल	Village-Sihora, Tehsil-Jabalpur, District-Jabalpur, (M.P.) 24,997 Cu.mt/year.		
लीज स्वीकृति	कार्यालयं कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 1985 दिनांक 29 / 06 / 21 के द्वारा स्वीकृत ।		
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी–2 Stone Quarry		
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार खनन् कार्य में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
नया / क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।		
डिया ई.सी. का	लागू नहीं		
विवरण (यदि लागू हो)			
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—24,997 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया		
	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—24,997 घनमीटर / वर्ष		
	हेतु स्वीकृत है।		
500 मीटर की परिधि			
में अन्य खदानें	क्रमांक 70 दिनांक 19/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई		
	खदानें संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है ।		

वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र		
की अनापत्ति	क्रमांक 70 दिनांक 19/04/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल		
	पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन		
	क्षेत्र स्थित नहीं है ।		
त्हसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र		
अनापत्ति	कमांक 70 दिनांक 19/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव		
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के		
	रमारक, रेल्वे लाईन/ सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/		
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा		
	संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/ स्टॉप डैम/नहर/		
	ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।		
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत सिहोरा जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 58 दिनांक		
पंचायत की अनापत्ति	28 / 01 / 2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई		
	आपित्त नहीं है ।		
वृक्षों की वर्तमान	प्रस्तावित स्थल पर कुछ पेड़ लगे है, किन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्पष्ट		
स्थिति	किया गया पेड़ों वाले स्थान को लगभग 1.65 हैक्टेयर गैर खनन क्षेत्र अंकित		
	किया गया है अतः उनके द्वारा कोई पेड़ काटा नहीं जायेगा । प्रस्तावक द्वारा		
	यह भी उल्लेख किया गया कि उक्त गैर खनन क्षेत्र के बाद लगभग 2.00		
	हैक्टेयर खनन क्षेत्र उपलब्ध रहेगा।		
गूगल इमेज अनुसार			
वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा— कच्चा रोड़ 11 मीटर दिखाई दे रहा है जो कि परियोजना		
	प्रस्तावक द्वारा स्पष्ट किया गया कि वह हालेज रोड़ है। नदी 669 मीटर		
	पूर्व दिशा— आबादी 500 मीटर		
	उत्तर दिशा – पहाड़ की दूरी ओर ग्रामीणों के आने जाने हेतु कच्चा मार्ग		
	उपलब्ध है। स्थल के 179 मीटर पर कुछ शेड हैं, परियोजना प्रस्तावक द्वारा		
	स्पष्ट किया गया कि वे अवनडेंड स्ट्रक्चर हैं।		
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	· ·		
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—51 के सरल क्रमांक—100		
	पर दर्ज है ।		

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन—24,997 मी3 प्रति व ी।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.07 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 2.29 लाख प्रति वर्ष ।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम सिहोरा के शासकीय प्राथमिक शाला की मरम्मत एवं खेल मैदान का समतलीकरण कर उक्त शाला में 2 कुर्सी एवं 2 टेबल एवं 1 ब्लैक बोर्ड उपलब्ध करवाया जावेगा	35,000
ग्राम सिहोरा के नजदीक स्थित प्राथमिक स्वस्थ केंद्र में पदस्थ चिकित्सक के परामर्श से जरूरत के हिसाब से उपयोग हेतु सामग्री एवं उपकरण उपलब्ध करवाए जावेंगे	35,000
कुल	70,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियतस्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोनमें वृक्षारोपण	बांस, सागौन, सिस्सू, कालासिरिस, सफेदसिरिस, खमेर, पीपल, जंगल जलेबी, नीम, सीताफल, चिरोलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	800
2.	उत्खनिपद्टामेंप्रस्तावितगैर खनन क्षेत्र में	बांस, सागौन, सिस्सू, खमेर, कालासिरिस, सफेदसिरिस, पीपल, जंगल जलेबी, नीम, सीताफल, चिरोलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1200
3	परिवहनमार्गमें	नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज,पाकरा, पीपलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँट्री—गार्ड के साथ	140
4	ग्राम पंचायत भवन सिहोरापरिसर मे	नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज,पाकर, पीपलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	50
5	ग्रामीणोंमेंपौधोकावितरण	संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा , कटहलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2210
गारलेण्ड	इ ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के	बन्ड पर स्थानीय बीज बोए जाकर उनका संरक्षण	किया जायेगा।
		कुल वृक्षारोपण	4400

अनुशंसा :— उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

7. Case No 10052/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Sagar (MP), Prior Environment Clearance for Prior Environment Clearance for Reema Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (3000 cum per year) (Khasra No. 119), Village-Reema, Tehsil-Jabalpur, District-Jabalpur (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश भूमरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, मेसर्स ओसियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. द्वारा दिनांक 27/07/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री विजय चक्रवर्ती, खनिज निरीक्षक, जिला — जबलपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक,	Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80		
परियोजना / कम्पनी	Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, सागर (MP)		
/संस्थाना का नाम व	,	,	
पता			
खसरा नं. / क्षेत्रफल	119 (सरकारी—नॉन फॉरेस्ट भूमि)	4.00 ha.	
(सरकारी / निजी)			
स्थल	Village- Reema, Tehsil- Jabalpur, Distri	ct- Jabalpur, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग	के पत्र कमांक एफ-19-2-	
	2019—12—1—पार्ट—6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से		
	10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।		
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी—2		
रेत प्रकरणों में नदी	1 2 2		
का नाम	पश्चिम में गढढों में पानी भरा है । ख		
	कारण 3.4 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं	0.6 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा,	
	जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत—3,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया		
	है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत—3,000 घनमीटर/वर्ष हेतु		
	स्वीकृत है।		
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र		
अन्य खदानें	क्रमांक २४७८ दिनांक २७ / ०३ / २३ अनुसार ५०० मीटर की परिधि में अन्य		
	कोई खदानें संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है ।		

वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र
की अनापत्ति	क्रमांक २४७८ दिनांक २७/०३/२३ अनुसार १० किलोमीटर की परिधि में
THE STATE STATE OF THE STATE OF	टाईगर रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता
	एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
तहसीलदार की	\
अनापत्ति	क्रमांक २४७८ दिनांक २७ / ०३ / २३ अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच. –७ से
	200 मीटर दूर है और 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक
	संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, मरघट नहीं
	है
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत रीवा जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—2 दिनांक
पंचायत की अनापत्ति	05/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई
	आपित्त नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–59 के सरल क्रमांक–3 पर
	दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—3000 घनमीटर उल्लेखित है,
	जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3000 घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय
	स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत-3,000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 5.85 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 2.13 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.16 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
पालक शिक्षक संघ के माध्यम से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बरगी नगर में कॉपी, पेन, चोक इत्यादि का वितरण /या पालक शिक्षक संघ के परामर्ष के अनुशार	7,000
गाँव की सड़क और स्कूल के पास 4 सोलर लाइट लगाई जायेंगी 3000 .रु)प्रति सोलर लाइट(9,000
योग	16,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी) पंक्तियों में 6 से 1 तट से	पंक्ति 3-1 पंक्ति 3-1- खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ	1570
	(4-5 पंक्ति- कटंग बांस	318
		6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	172
2	ग्राम रीमा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2740

- √ 5 साल तक पौधे का रख-रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था /सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना किसी भी पेड़ को काटा /उखाड़ा नहीं जायेगा।
- √ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
- टीप: सम्पूर्ण वृक्षारोपण मौके पर, स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कल / पुलिस थाना / आंगनवाडी केन्द्र आदि में पौधारोपण किया जावेगा ।
- 8. Case No 10053/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Sagar (MP), Prior Environment Clearance for Kaimori Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (2000 cum per year) (Khasra No. 87), Village-Kaimora, Tehsil-Patan, District-Jabalpur (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश भूमरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, मेसर्स ओसियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. द्वारा दिनांक 27/07/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री विजय चक्रवर्ती, खनिज निरीक्षक, जिला — जबलपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / नाम व पता	Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, सागर (MP)

खसरा नं./क्षेत्रफल	87 (सरकारी—नॉन फॉरेस्ट भूमि) 2.00 Ha.	
(सरकारी / निजी)	2.50 m.	
परियोजना स्थल	Village- Kaimori, Tehsil- Patan, District- Jabalpur, Madhya Pradesh, 2000 cum /year	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ—19—2— 2019—12—1—पार्ट—6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान हिरन नदी में स्थित है, जो कि पूर्णतः जलमग्न है । खदान का भाग पानी डूबा होने के कारण 1.59 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 0.41 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत—2000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत—2000 घनमीटर / वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2488 दिनांक 27 / 03 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापित्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2488 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र कमांक 2488 दिनांक 27/03/23 अनुसार 200 मीटर पर ग्रामीण रास्ता है और मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला 500 की की दूरी में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कैमोरी जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—6 दिनांक 01 / 11 / 17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित किया गया	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति		

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 2000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 3.77 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 01.83 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.13 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
पालक शिक्षक संघ के माध्यम से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कैमोरीमें कॉपी, पेन, चोक इत्यादि का वितरण /या पालक शिक्षक संघ के परामर्ष के अनुशार	13,000

 निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी) पंक्तियों में 6 से 1 तट से	पंक्ति 3-1- खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ	1393
		4-5 पंक्ति- कटंग बांस	434
		6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	180
2	ग्रामकैमोरी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	394

- ✓ 5 साल तक पौधे का रख-रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन सिमिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था /सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा।
- 🗸 प्रस्तावित परियोजना किसी भी पेड़ को काटा /उखाड़ा नहीं जायेगा।
- √ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
- टीप: सम्पूर्ण वृक्षारोपण मौके पर, स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केन्द्र आदि में पौधारोपण किया जावेगा ।

कुल 2400

9. <u>Case No 10054/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Sagar (MP), Prior Environment Clearance for Khairi Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (5000 cum per year) (Khasra No. 151), Village-Khairi, Tehsil-Shahpura, District-Jabalpur (MP)</u>

परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश भूमरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, मेसर्स ओसियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. द्वारा दिनांक 27/07/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री विजय चक्रवर्ती, खनिज निरीक्षक, जिला — जबलपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक,	Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80	
परियोजना / कम्पनी	Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, सागर (MP)	
/ नाम व पता		
खसरा नं. / क्षेत्रफल	151 (सरकारी—नॉन फॉरेस्ट भूमि) 4.00 ha.	
(सरकारी / निजी)		
स्थल	Village- Khairi, Tehsil- Shahpura, District- Jabalpur, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र कमांक एफ–19–2–	
	2019—12—1—पार्ट—6 दिनांक 31 / 05 / 23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से	
	10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी—2 Sand Quarry	
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान नर्मदा नदी में स्थित है, जिसका आंशिक भाग पानी डूबा है ।	
का नाम	खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण 3.45 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र	
	एवं 0.55 हें. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में	
	है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत—5000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है	
	और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत—5000 घनमीटर / वर्ष हेतु स्वीकृत	
	है ।	
500 मीटर की परिधि	/ 3 ,	
में अन्य खदानें	क्रमांक २४९७ दिनांक २७/०३/२३ अनुसार ५०० मीटर की परिधि में अन्य	
	कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र	
की अनापत्ति	क्रमांक २४९७ दिनांक २७ / ०३ / २३ अनुसार १० किलोमीटर की परिधि में	

	टाईगर रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता
	एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की	
अनापत्ति	कमांक २४९७ दिनांक २७ / ०३ / २३ अनुसार ५०० मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के
	स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा
	संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का
	रास्ता / नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत शाहपुरा जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–5 दिनांक
पंचायत की अनापत्ति	08/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई
	आपित्त नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—61 के सरल क्रमांक—22
	पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—5500 घनमीटर उल्लेखित है,
	जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 5000 घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय
	स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—5000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. खदान नर्मदा नदी में स्थित होने के कारण सिर्फ मेन्यूअल माईनिंग ही की जाये।
- 3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 5.04 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 1.81 लाख प्रति वर्ष ।
- 4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
पालक शिक्षक संघ के माध्यम से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रायखेडा में कॉपी, पेन, चोक इत्यादि का वितरण /या पालक शिक्षक संघ के परामर्ष के अनुशार	5,000
गांव की सड़क और स्कूल के पास सोलर लाइट 5 लगाई जाएँगी 3000.रु)प्रति सोलर लाइट(15,000
Total Cost	20,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी) पंक्तियों में 6 से 1 तट से	पंक्ति 3-1- खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ	1633
	(4-5 पंक्ति- कटंग बांस	266
		6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	111
2	ग्राम खैरी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2790

- √ 5 साल तक पौधे का रख-रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था /सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा।
- 🗸 प्रस्तावित परियोजना किसी भी पेड़ को काटा /उखाड़ा नहीं जायेगा।
- √ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
- टीप: सम्पूर्ण वृक्षारोपण मौके पर, स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केन्द्र आदि में पौधारोपण किया जावेगा ।

कुल 4800

10. Case No 10055/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Sagar (MP). Prior Environment Clearance for Dhartikacchar Sand Quarry in an area of 3.00 ha. (30000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Dhartikachhar, Tehsil-Shahpura, District-Jabalpur (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश भूमरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, मेसर्स ओसियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. द्वारा दिनांक 27/07/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री विजय चक्रवर्ती, खनिज निरीक्षक, जिला — जबलपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक,	Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80

11000.221 / 2011.2 1	DILL D. T.E (AC.L. L-	(AAD)	
परियोजना / कम्पनी	Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, 3	सागर (MP)	
∕ नाम व पता		2006-	
खसरा नं. / क्षेत्रफल	01 (सरकारी—नॉन फॉरेस्ट भूमि)	3.00 ha.	
(सरकारी / निजी)			
स्थल	Village- Dhartikachhar, Tehsil- Sha	hpura, District- Jabalpur, Madhya	
	Pradesh.		
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग		
	2019—12—1—पार्ट—6 दिनांक 31/05/	723 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनाक स	
20 (0 (0)	10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।		
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी-2 Sand Quarry		
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान नर्मदा नदी में स्थित है, रि	C1	
का नाम	खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने के		
	एवं 1.11 हे. में खनन् कार्य किया ज	विगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में	
	है।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–30,000	•	
	है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत—30,000 घनमीटर / वर्ष हेतु		
	स्वीकृत है ।		
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र		
में अन्य खदानें	क्रमांक २४८० दिनांक २७/०३/२३ अ		
	कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है,	अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ि	जेला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र	
की अनापत्ति	क्रमांक 2480 दिनांक 27/03/23 अ	ानुसार 10 किलोमीटर की परिधि में	
	टाईगर रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण		
	एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है		
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रि	जेला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र	
अनापत्ति	क्रमांक 2480 दिनांक 27/03/23 अन्	नुसार 500 मीटर की परिधि में मानव	
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के		
	स्मारक, रेल्वे लाईन/ सार्वजनिक भव		
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेश		
	संस्थान एवं जलीय निकाय/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का		
	रास्ता / नाला नहीं है ।	,	
ग्राम सभा/ ग्राम			
पंचायत की अनापत्ति	दिनांक 08/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को		
	कोई आपित्त नहीं है ।		
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	•		
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—60 के सरल क्रमांक—12		
	पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—33300 घनमीटर उल्लेखित		
	ार रचा द्वा गांचारा । । । । । । । । । । । । । । । । । ।	10111111 00000 411101 0111101	

है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 30,000 घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—30,000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. खदान नर्मदा नदी में स्थित होने के कारण सिर्फ मेन्यूअल माईनिंग ही की जाये।
- 3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 4.40 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 1.68 लाख प्रति वर्ष ।
- 4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.81 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
पालक शिक्षक संघ के माध्यम से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भादपुरा में कॉपी, पेन, चोक इत्यादि का वितरण /या पालक शिक्षक संघ के परामर्ष के अनुशार	6,000
ग्राम भेदाघाट के आंगनबाड़ी केंद्र में "खेल द्वारा शिक्षा" के उपकरण	15,000
गांव की सड़क और स्कूल के पास 1 5सोलर लाइट लगाई जाएँगी 3000.रु)प्रति सोलर लाइट(45,000
ग्राम भादपुरा की प्राथमिक पाठशाला के अधोसंरचना विकास एवं उपयोगी उपकरण इत्यादि	15,000
Total Cost	81,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी) पंक्तियों में 6 से 1 तट से	पंक्ति 3-1- खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ	1634
	(कटंग बांस -पंक्ति 5-4	266

		6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	111
2	ग्रामधरती कछार के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2789

- √ 5 साल तक पौधे का रख-रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था /सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना किसी भी पेड़ को काटा /उखाड़ा नहीं जायेगा।
- √ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
- टीप: सम्पूर्ण वृक्षारोपण मौके पर, स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केन्द्र आदि में पौधारोपण किया जावेगा ।

कुल 4800

11. Case No 10056/2023 Shri AJAY NIGAM, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, लेखा मुख्य कार्यालय भोपाल, D-5-102 Rudraksh Park Phase 2, Bawadia Kalan, Bhopal, Near Extrol College, Bhopal (MP). Prior Environment Clearance for Manpura Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (2000 cum per year) (Khasra No. 1, 38), Village-Manpura, Tehsil-Berasia, District-Bhopal (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री अजय निगम एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, मेसर्स ओसियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. द्वारा दिनांक 27/07/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री एस.एस बघेल, खनिज अधिकारी, जिला — भोपाल समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक	द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक,	Shri AJAY NIGAM, OIC-MPSMCL उप	महाप्रबंधक लेखा, मुख्य कार्यालय भोपाल,	
परियोजना / कम्पनी	D-5-102 Rudraksh Park Phase 2, Bawa	dia Kalan, Bhopal, Near Extrol College,	
/ का नाम व पता	Bhopal (MP)		
खसरा नं. / क्षेत्रफल	1,38 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट भूमि)	5.00 ha.	
(सरकारी / निजी)			
स्थल	Village Manpura, Tehsil - Berasia, D	istrict - Bhopal, Madhya Pradesh,	
लीज स्वीकृति	•	के पत्र कमांक एफ-19-2-	
	2019—12—1—पार्ट—6 दिनांक 31 / 05 <i>/</i>	/ 23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से	

	10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी–2 Sand Quarry
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान बाह नदी में स्थित है, जिसका आंशिक भाग पानी डूबा है ।
का नाम	खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण 4.25 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र
	एवं 0.75 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत—2,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
	है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत—2,000 घनमीटर/वर्ष हेतु
	स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक
में अन्य खदानें	2174 दिनांक 08/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई
	खदान संचालित / स्वीकृत नहीं हैं, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक
की अनापत्ति	2174 दिनांक 08 / 06 / 23 अनुसार वन मण्डलाधिकारी (सा.) वन मण्डल,
	भोपाल के पत्र 5171 दिनां 03/11/15 द्वारा स्वीकृत उत्खनिपट्टा नेशनल
	पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन नहीं आता है ।
तहसीलदार की	,
अनापत्ति	2174 दिनांक 08/06/23 अनुसार 500 मीट्र की परिधि में मानव बसाहट,
	शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक,
	रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा
	संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/
	कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत दोहाया जिला भोपाल के पत्र दिनांक 27/06/20 अनुसार
पंचायत की अनापत्ति	प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान	कुछ पेड़ लगे है
स्थिति	Tree Felling – N/A
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	·
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–88 सरल क्रमांक 2 पर
	दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—3750 घनमीटर उल्लेखित है,
	जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2,000 घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय
	स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

प्रकरण का परीक्षण :--

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्पष्ट किया गया कि पूर्व में अनुमोदित डीएसआर के बिन्दु क्रमांक 3 में उल्लेखित खदान की वैधता एवं कोर्डिनेड में आवश्यक संशोधन कर अतिरिक्त कोर्डिनेड पत्र क्रमांक 2540—41 दिनांक 25/07/2023 के माध्यम से प्रस्तुत किये गये हैं।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—2,000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद[ँ] में केपीटल राशि रू. 4.42 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 01.74 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
पालक शिक्षक संघ के माध्यम से ग्राम मानपुरा के हायर सेकंड्री पाठशाला में कॉपी, पेन, स्लेट , चोक इत्यादि का वितरण / या पालक शिक्षक संघ के परामर्ष के अनुशार	10,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1500 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट) (पंक्तियों में 6 से 1 से	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ	500
		5-4पंक्ति -कटंग बांस	300
		6पंक्ति -करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	300
2	ग्राम मानपुरा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	400

- √ 5 साल तक पौधे का रख-रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था /सेल्फ हेल्प ग्र्प (SHG) के द्वारा कराया जायेगा।
- 🗸 प्रस्तावित परियोजना किसी भी पेड़ को काटा /उखाड़ा नहीं जायेगा।
- √ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
- टीप: सम्पूर्ण वृक्षारोपण मौके पर, स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल/पृलिस थाना/आंगनवाड़ी केन्द्र आदि में पौधारोपण किया जावेगा ।

कुल 1500		
<u> </u>	कुल	1500

12. Case No 10057/2023 Shri AJAY NIGAM, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, लेखा मुख्य कार्यालय भोपाल, D-5-102 Rudraksh Park Phase 2, Bawadia Kalan, Bhopal, Near Extrol College, Bhopal (MP). Prior Environment Clearance for Ghogalpur Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (2000 cum per year) (Khasra No. 26), Village-Ghogalpur, Tehsil-Berasia, District-Bhopal (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री अजय निगम एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, मेसर्स ओसियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. द्वारा दिनांक 27/07/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री एस.एस बघेल, खनिज अधिकारी, जिला — भोपाल समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक,	Shri AJAY NIGAM, OIC-MPSMCL उप	महाप्रबंधक लेखा, मुख्य कार्यालय भोपाल,	
परियोजना / कम्पनी	D-5-102 Rudraksh Park Phase 2, Bawa	dia Kalan, Bhopal, Near Extrol College,	
/ का नाम व पता	Bhopal (MP)		
खसरा नं. / क्षेत्रफल	26 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)	5.00 ha.	
(सरकारी / निजी)			
स्थल	Village – Ghogalpur, Tehsil - Berasia Pradesh.	a, District - Bhopal, State - Madhya	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग	के पत्र कमांक एफ—19—2—	
	2019—12—1—पार्ट—6 दिनांक 31 / 05 /	/ 23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से	
	10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।		
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी–2 Sand Quarry		
रेत प्रकरणों में नदी	•	जेसके दक्षिण ओर अल्प भाग पानी में	
का नाम	डूबा है । खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण 4.25 हे. क्षेत्र गैर		
	खनन् क्षेत्र एवं 0.75 हे. में खनन्	कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख	
	सरफेस मेप में है।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-2,000		
	है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत—2,000 घनमीटर/वर्ष हेतु		
	स्वीकृत है ।		
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जित		
में अन्य खदानें	21721 दिनांक 28/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई		
	खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।		
वन मण्डलाधिकारी	,		
की अनापत्ति	21721 दिनांक 28/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर		
	रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / इ	ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं	

	250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक
अनापत्ति	21721 दिनांक 28/06/23 अनुसार आवेदित क्षेत्र मानव बसाहट 170 मीटर
	की दूरी पर एवं शैक्षणिक संस्था प्रायमरी पाठशाला उपरोक्त मानव बसाहट
	(आबादी क्षेत्र) में ही स्थित है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत घोघलपुर जिला भोपाल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–8 अनुसार
पंचायत की अनापत्ति	प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् हेतु प्रस्ताव पारित किया गया ।
वृक्षों की वर्तमान	Tree Felling -
स्थिति	Additional tree to be planted -
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–88 सरल क्रमांक 1 पर
	दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—3750 घनमीटर उल्लेखित है,
	जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2,000 घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय
	स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :--

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—2,000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 2.99 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 1.29 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
पालक शिक्षक संघ के माध्यम से शासकीय मध्य विद्यालय नजीराबाद में कॉपी, पेन, स्लेट , चोक इत्यादि का वितरण / या पालक शिक्षक संघ के परामर्ष के अनुशार	10,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1500 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट) (पंक्तियों में 6 से 1 से	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ	700
		5-4पंक्ति -कटंग बांस	420

		6पंक्ति -करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	130
2	ग्राम घोघलपुर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	250

- √ 5 साल तक पौधे का रख-रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था /सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना किसी भी पेड़ को काटा /उखाड़ा नहीं जायेगा।
- √ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
- टीप: सम्पूर्ण वृक्षारोपण मौके पर, स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केन्द्र आदि में पौधारोपण किया जावेगा ।

कुल 1500

13. Case No 10062/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Sagar (MP). Prior Environment Clearance for Chhituraha Sand Quarry in an area of 2.15 ha. (5000 cum per year) (Khasra No. 300), Village-RAMKHIRIYA, Tehsil- SHAHPURA, District-Jabalpur (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश भूमरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, मेसर्स ओसियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. द्वारा दिनांक 27/07/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री विजय चक्रवर्ती, खनिज निरीक्षक, जिला — जबलपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक,	Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80	
परियोजना / कम्पनी	Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, सागर (MP)	
/ का नाम व पता		
खसरा नं. / क्षेत्रफल	300 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)	2.15 ha.
(सरकारी / निजी)		
स्थल	Village- RAMKHIRIYA, Tehsil- SHAH	IPURA, District- Jabalpur, Madhya
	Pradesh.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग	के पत्र कमांक एफ-19-2-
	2019—12—1—पार्ट—6 दिनांक 31 / 05 /	/ 23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से

	10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी–2 Sand Quarry
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान नर्मदा नदी में स्थित है, जिसका आंशिक भाग पानी में डूबा है। खदान के अप स्ट्रीम 630 मीटर पर रेल्वे ब्रिज है, खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण 1.15 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 1.00 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत—5,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत—5,000 घनमीटर / वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2499 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र कमांक 2499 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र कमांक 2499 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रमखिरिया जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 08/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् से प्राप्त रॉयल्टी ग्राम पंचायत के एकल खाते में जमा की की जाये एवं ग्राम के लोगों को स्वीकृत आवासों हेतु बिना रॉयल्टी के रेत देने की शर्त पर स्वीकृति प्रदान की गई है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—61 के सरल क्रमांक—21 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—5000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 5000 घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 5000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. खदान नर्मदा नदी में स्थित होने के कारण सिर्फ मेन्यूअल माईनिंग ही की जाये ।
- 3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 5.07 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.62 लाख प्रति वर्ष ।
- 4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.22 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
पालक शिक्षक संघ के माध्यम से राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भीकमपुर में कॉपी, पेन, स्लेट , चोक इत्यादि का वितरण / या पालक शिक्षक संघ के परामर्ष के अनुशार	10,000
गाँव की सड़क और स्कूल के पास 4 सोलर लाइट लगाई जायेंगी 3000 .रु)प्रति सोलर लाइट(12,000
Total Cost	22,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2580 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट) (पंक्तियों में 6 से 1 से	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ	900
	ं	5-4पंक्ति -कटंग बांस	182
		6पंक्ति -करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	76
2	ग्राम रमखिरिया के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1422

- ✓ 5 साल तक पौधे का रख-रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन सिमिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था /सेल्फ हेल्प ग्र्प (SHG) के द्वारा कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना किसी भी पेड़ को काटा /उखाड़ा नहीं जायेगा।
- 🗸 एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप: सम्पूर्ण वृक्षारोपण मौके पर, स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केन्द्र आदि में पौधारोपण किया जावेगा ।
 कुल 2580

14. Case No 10063/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Sagar (MP). Prior Environment Clearance for Chhituraha Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (10,000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Chituraha, Tehsil-Patan, District-Jabalpur (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश भूमरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, मेसर्स ओसियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. द्वारा दिनांक 27/07/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री विजय चक्रवर्ती, खनिज निरीक्षक, जिला — जबलपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक,	Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80		
परियोजना / कम्पनी	Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, सागर (MP)		
/ का नाम व पता			
खसरा नं. / क्षेत्रफल	01 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)	2.00 ha.	
(सरकारी / निजी)			
स्थल	Village- Chhituraha, Tehsil- Patan, District- Jabalpur, Madhya Pradesh.		
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–		
	2019—12—1—पार्ट—6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से		
	10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।		
श्रेणी (बी—1 / बी—2)	बी–2 Sand Quarry		
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान हिरन नदी में स्थित है, जिसका आंशिक भाग पानी में डूबा है ।		
का नाम	खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण 1.19 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र		
	एवं 0.81 हे. में खनन् कार्य किया ज	nवेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में	
	है।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत—10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गर		
	है और अनुमोदित खनन् योजना अन्	नुसार रेत—10,000 घनमीटर⁄वर्ष हेतु	
	स्वीकृत है ।		
500 मीटर की परिधि	/ 3 ,		
में अन्य खदानें	क्रमांक २४९० दिनांक २७/०३/२३ अनुसार ५०० मीटर की परिधि में अन्य		

	कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है ।		
वन मण्डलाधिकारी			
की अनापत्ति कमांक २४९० दिनांक २७७/०३/२३ अनुसार १० किलोमीटर व			
	टाईगर रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता		
	क्षेत्र नहीं है । आवेदित क्षेत्र वन भूमि से 250 मीटर से कम दूर होने		
	कारण प्रकरण में संभागीय स्तर समिति से दिनांक 19/01/23 द्वारा		
	अनापत्ति प्राप्त है ।		
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र		
अनापित्ति कमांक २४९० दिनांक २७७ / २३ अनुसार ५०० मीटर की परिधि में			
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के		
	स्मारक, रेल्वे लाईन्/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/		
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा		
	संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का		
	रास्ता / नाला नहीं है ।		
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत छितुरहा जिला जबलपुर के टहराव प्रस्ताव क्रमांक–3 दिनांक		
पंचायत की अनापत्ति	12 / 06 / 23 को प्रस्तावित स्थल पर खनन् हेतु प्रस्ताव पारित किया गया ।		
वृक्षों की वर्तमान	Tree Felling -		
स्थिति	Additional tree to be planted -		
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट			
की स्थिति			
	पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—12,150 घनमीटर उल्लेखित		
	है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10,000 घनमीटर / वर्ष		
	पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।		

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—10,000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद[ँ]में केपीटल राशि रू. 6.19 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 2.75 लाख प्रति वर्ष।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.32 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
गांव की सड़क और स्कूल के पास 7 सोलर लाइट लगाई जाएँगी 3000.रु)प्रति सोलर लाइट(21,000

पालक शिक्षक संघ के माध्यम से ग्राम सकरा की माध्यमिक पाठशाला में कॉपी, पेन, स्लेट , चौक इत्यादि का वितरण /या पालक शिक्षक संघ के परामर्ष के अनुशार	11,000
Total Cost	32,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौघों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट) (पंक्तियों में 6 से 1 से	पंक्ति 3-1— खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ	1300
		कटंग बांस -पंक्ति 5-4	420
		करंज -पंक्ति ६, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200
2	ग्राम छितुरहा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	480

- ✓ 5 साल तक पौधे का रख-रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन सिमिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था /सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा।
- 🗸 प्रस्तावित परियोजना किसी भी पेड़ को काटा /उखाड़ा नहीं जायेगा।
- √ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
- टीप: सम्पूर्ण वृक्षारोपण मौके पर, स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केन्द्र आदि में पौधारोपण किया जावेगा ।

চুল 2400

15. Case No 10065/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Sagar (MP). Prior Environment Clearance for Magarkata Sand Quarry in an area of 1.00 ha. (3000 cum per year) (Khasra No. 191), Village-Magarkata, Tehsil-Majholi, District-Jabalpur (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश भूमरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, मेसर्स ओसियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. द्वारा दिनांक 27/07/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री विजय चक्रवर्ती, खनिज निरीक्षक, जिला — जबलपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, सागर (MP)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	191 (सरकारी—नॉन फॉरेस्ट भूमि) 1.00 ha.	
स्थल लीज स्वीकृति	Village- MAGARKATA, Tehsil- MAJHOLI, District- Jabalpur, Madhya Pradesh. मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ—19—2— 2019—12—1—पार्ट—6 दिनांक 31 / 05 / 23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी—1 / बी—2) रेत प्रकरणों में नदी का नाम	बी—2 Sand Quarry यह खदान हिरन नदी में स्थित है, जिसके दक्षिणी ओर से नदी का वहाव हो रहा है। खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण 0.7 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 0.3 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत—3,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत—3,000 घनमीटर / वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्योलय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 2477 दिनांक 27 / 03 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापित्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2477 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र कृमांक 2477 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बघेली जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—1 दिनांक 05/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।	

वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—63 के सरल क्रमांक—39 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—3,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3,000 घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—3,000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 3.10 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.76 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.16 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम सुरेख की शासकीय एकीकृत शाला के अधोसंरचना विकास एवं उपयोगी उपकरण इत्यादि	16,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)ं	पंक्ति 3-1— खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ	610
		कटंग बांस -पंक्ति 5-4	148
		-पंक्ति 6करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	125
2	ग्राम मगरकटा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	318

- √ 5 साल तक पौधे का रख-रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था /सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा।
- 🗸 प्रस्तावित परियोजना किसी भी पेड़ को काटा /उखाड़ा नहीं जायेगा।

- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
 ✓ टीप: सम्पूर्ण वृक्षारोपण मौके पर, स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केन्द्र आदि में पौधारोपण किया जावेगा ।
 कुल 1200
- 16. Case No 10066/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Sagar (MP). Prior Environment Clearance for Mahuakheda Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (8000 cum per year) (Khasra No. 42), Village- Mahuakheda, Tehsil-Patan, District-Jabalpur (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश भूमरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, मेसर्स ओसियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. द्वारा दिनांक 27/07/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री विजय चक्रवर्ती, खनिज निरीक्षक, जिला — जबलपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक,	Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80		
परियोजना / कम्पनी	Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, सागर (MP)		
/ का नाम व पता	•		
खसरा नं. / क्षेत्रफल	42 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)	2.00 ha.	
(सरकारी / निजी)			
स्थल	Village- Mahuakheda, Tehsil- Pa	atan, District- Jabalpur, Madhya	
	Pradesh.		
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ—19—2—		
	2019—12—1—पार्ट—6 दिनांक 31 / 05 / 23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से		
	10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।		
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी–2 Sand Quarry		
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान हिरन नदी में स्थित है, जि		
का नाम	खदान के उत्तरी ओर से जल का वहाव हो रहा है । खदान का कुछ भाग		
	पानी डूबा होने के कारण 1.21 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 0.79 हे. में		
	खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-8,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया		
	है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत-8,000 घनमीटर/वर्ष हेतु		
	स्वीकृत है ।		
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) र्व	जेला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र	

में अन्य खदानें	क्रमांक 2462 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य		
	कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है ।		
वन मण्डलाधिकारी	1 3 7		
की अनापत्ति	कमांक 2462 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में		
	टाईगर रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता		
	एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।		
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र		
अनापत्ति	क्रमांक 2462 दिनांक 27/03/23 अनुसार मानव बसाहट 400 मीटर की दूरी		
	पर, कच्चा रस्ता लगा हुआ है एवं 500 मीटर की परिधि में शैक्षणिक संस्थान,		
	चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/		
	सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे :		
	रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /		
	तालाब / बांध / स्टाॅप डैम / नहर / ग्रामीण पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।		
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत महुआखेड़ा जिला जबलपुर के पत्र अनुसार प्रस्तावित स्थल पर		
पंचायत की अनापत्ति	खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।		
वृक्षों की वर्तमान	Tree Felling -		
रिथति Additional tree to be planted -			
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की		
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—62 के सरल क्रमांक—31		
	पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—15800 घनमीटर उल्लेखित		
	है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा ८,००० घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय		
	स्वीकृति हेत् आवेदन किया गया था ।		

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गईं जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत-8,000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 3.98 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.92 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.28 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
पालक शिक्षक संघ के माध्यम से शासकीय मध्य विद्यालय, महुँखेड़ा में कॉपी, पेन, स्लेट , चोक इत्यादि का वितरण / या पालक शिक्षक संघ के परामर्ष के अनुशार	10,000
गाँव की सड़क और स्कूल के पास 6 सोलर लाइट लगाई जायेंगी 3000 .रु)प्रति सोलर लाइट(18,000

Total Cost	28,000
------------	--------

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट) (पंक्तियों में 6 से 1 से	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ	1230
		5-4पंक्ति -कटंग बांस	470
		6पंक्ति -करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200
2	ग्राम महुँआखेडा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींब्, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	500

- √ 5 साल तक पौधे का रख-रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था /सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना किसी भी पेड़ को काटा /उखाड़ा नहीं जायेगा।
- √ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
- टीप: सम्पूर्ण वृक्षारोपण मौके पर, स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केन्द्र आदि में पौधारोपण किया जावेगा ।

कुल 2400

17. Case No 9955/2023 M/s Sanwariya Seth Granites, Partner, Shri Himmat Singh, , R/o Ratanpur Road, Borawar, Tehsil-Makrana, District-Nagaur (RJ)-341502, Prior Environment Clearance for Narwa Granite Mine in an area of 1.80 ha. (1000 Cum per annum) (Khasra No. 1787), Village-Narwa, Tehsil-Shahgarh, District-Sagar (MP)

प्रकरण का समिति की 653वीं बैठक दिनांक 15/06/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वाईल प्रोफाईल प्रस्तुत नहीं की गई अतः बैरियर जोन में ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 26/05/23 के द्वारा उपरोक्त वांछित जानकारी अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष दिनांक 27/07/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री हिम्मत सिंह और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :--

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता लाईम ग्रेनाइट—1000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 18.53 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 3.34 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
शासकीय उप— स्वास्थ्य केन्द्र शाहगढ में दो व्हील चेयर एवं चार बेड (गदद्, तिकया एवं चादर सिहत)	1,000,00

 निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)	
1	बैरियर जोन में	नीम, बॉस, करंज, आम, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1200	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	200	
3	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1000	
गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बन्ड पर स्थानीय बीज बोए जाकर उनका संरक्षण किय				
	কুল			

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

18. Case No 9703/2023 Shri Yatish Jain, Executive Engineer, Division No. 1, Bhopal Development Authority, Pragati Bhawan, Press Complex, M.P. Nagar, Zone-1, District-Bhopal (MP)-462011. Prior Environment Clearance for area development project "Infrastructure Development Work of 45M Wide Master Plan Road (TDS-201/2020) [Total Plot Area-2269107.6 sqm, Total Built-up Area-1443221.17 sqm) at Village- Misrod, Jatkhedi, Bagli, Katara and Barrai of Bhopal district, Tehsil-Huzur, District-Bhopal, (MP). Category-8-b,

This is case of Prior Environment Clearance for Area Development Project of "Infrastructure Development Work of 45M Wide Master Plan Road (TDS-201/2020) [Total Plot Area-2269107.6 sqm, Total Built-up Area-1443221.17 sqm) at Khasra No. 1549, 1551, 1552(P), 45/1, 47/1, Village-Jhagriya, Katara, Bagli, Bhopal, Tehsil-Huzur, District-Bhopal, (M.P.) Cat. - 8(b) Township and Area Development Projects.

In the SEAC 631st meeting dated 18.03.2023 the case was presented by Env. Consultant Shri Krishan Chandra Panda, M/s. Oceao Enviro Management Solutions India Pvt. Ltd. Gaziabad, UP and PP Shri Yatish Jain, (online) Executive Engineer, Division No. 1, Bhopal Development Authority, Bhopal.

During presentation it was observed by the committee that as per the Google image uploaded online and presented by the PP, it was observed that many developmental activities and developed colonies were in existence within the project boundary and appears to be case of violation for which PP and consultant submitted that these projects are not part of this scheme and project boundary is wrongly marked on Google Image. They have not started any construction proposed in this project. Thus committee instructed PP to upload correct boundary of the proposed project for further consideration of this case.

Vide dated 17.04.2023 PP has uploaded on line query reply on PARIVESH portal which was asked in the in the SEAC 631st meeting dated 18.03.2023.

Hence, the case was scheduled in the 640th SEAC meeting dated 26/04/2023 for querries as desired in the earlier SEAC meeting for issue of TOR, wherein Env. Consultant Himanshu Goyal & Shri Krishan Chandra Panda (on-line) from M/s. Oceao Enviro Management Solutions India Pvt. Ltd. Gaziabad, UP and PP Shri Yatish Jain, Executive Engineer, and Shri S.K. Mishra, SE Division No. 1, Bhopal Development Authority, Bhopal. Wherein it was observed that PP has submitted –

• T&CPO approval letter with map vide letter no. 1193 dated 09.05.2022.

- Affidavit explaining area statement of the proposed development project.
- Google map of net scheme area.

Wherein PP submitted that:

- Town and Country Planning department approved master plan area 316.04 hectare (approved vide letter no. "Kramank 1193 SA044/DHARA 27-28 Bhopal/Jika.Bho./2022" Bhopal dated 9.05.2022).
- The area reconstituted for development comes out to be 226.911 hectare after leaving the already sanctioned area by T&CP and Abaadi area i.e. 89.129 hectare.
- The Net planned area for the development is 226.911 hectare which is clearly mentioned in the approved T&CP layout plan.
- The Abaadi area and the already approved area admeasuring 89.129 hectare are demarcated in the boundary of the master plan but application for the Environment Clearance has been made excluding the Abaadi area & already approved area.
- It is submitted that this 89.129 hectare area is not the part of the application made for Environment Clearance and Net Area for Environment Clearance is 226.911 hectare (reconstituted area).
- Available Reconstituted land admeasuring 226.911 hectare will be developed as per the "Gazette of Madhya Pradesh (Asadharan), Pradhikar Se Prakashit, kramank 67] Bhopal, Somvar, Dinank 17 February 2020-Magh 28, Shak 1941."
- It is undertaken that, the proposed development is only an Area development project under which only infrastructure works like road networks (45m, 30m, 20m, 12m and other trunk road), water, sewerage & STP etc. will be undertaken.
- There will be no construction done by Bhopal Development Authority. Separate Environment Clearance(s) will be obtained for concerned development of the plot owners if proposed development inside the scheme will fall under EIA notification 14.09.2006.

After presentation, in the SEAC 640th meeting dated 26.04.2023 Committee recommended to issue standard TOR as prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

- 1. Project description, its importance and the benefits.
- 2. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, Google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.

- 3. Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.
- 4. As proposed increase the green cover area upto 12.0 ha. area and see that after planting period of 05 years green canopy cover shakll not be less then 25 percent. Hence, proposed green cover with unifomalily space in the EIA report with categorywise plantation in the road side, peripheral plantation as suggested during meeting by the committee.
- 5. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
- 6. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PN2.5, SO2, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one month (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 5 locations in the study area of 10 Km.
- 7. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
- 8. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.).
- 9. Surface of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
- 10. Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area.
- 11. Management of solid waste and the construction & demolition waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Rules, 2016.
- 12. Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project.

PP has submitted the EIA report online on Parivesh Portal to SEIAA and same was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal hence, the case was scheduled for EIA presentation in the SEAC 663rd dated 27.07.2023.

The EIA was presented by PP Shri Yatish Jain, Executive Engineer and their Env. Consultant Shri Krishan Chandra Panda from M/s. Oceao Enviro Management Solutions India Pvt. Ltd. Gaziabad, U.P. Wherein PP submitted that Bhopal Development Authority, Bhopal proposes an area development project "Infrastructure Development Work of 45 M Wide Master Plan Road (Town Development Scheme No. 201/2020) Misrod-Barrai, Bhopal" located at villages Misrod, Jatkhedi, Bagli, Katara, Barrai, Bhopal (MP). The total area of scheme is 3159177.60 sqm (315.9177 Ha), out of which 890070 sqm (89.007 Ha) area is already developed. Therefore, the proposed net total scheme after reconstituted plotting area is 2269107.6 sqm (226.911 Ha) which is contiguous in nature. The proposed permissible Builtup area is 1443221.17 sqm. The proposed area development project is divided into three Sectors: Sector I, Sector II & Sector III.

PP presented further following points:

- The area reconstituted for development comes out to be 226.911 hectare after leaving the already sanctioned area by T&CP and Abaadi area i.e. 89.129 hectare.
- The Abaadi area and the already approved area admeasuring 89.129 hectare are demarcated in the boundary of the master plan but application for the Environment Clearance has been made excluding the Abaadi area & already approved area.
- Available Reconstituted land admeasuring 226.911 hectare will be developed as per the "Gazette of Madhya Pradesh (Asadharan), Pradhikar Se Prakashit, kramank 67] Bhopal, Somvar, Dinank 17 February 2020-Magh 28, Shak 1941."
- There will be no construction done by Bhopal Development Authority. Separate Environment Clearance(s) will be obtained for concerned development of the plot owners if proposed development inside the scheme will fall under EIA notification 14.09.2006.
- The green area provided was 11.36 Ha which has been increased by 13.579 Ha. The green belt is distributed as peripheral plantation (2 & 3 row plantation), single row peripheral and Median plantation all along the 45m, 30m & 24m road network. All the open areas are proposed to be converted to dense plantation (@1200 plants/hectare).
- Trees Total no of trees to be planted including Compensetary plantation =26494

After presentation committee observed following information is to be submitted / revised by PP.

- The proposed net total scheme after reconstituted plotting area is 2269107.6 sqm (226.911 Ha) hence, a lay-out map which also include proposed green area shall be submitted.
- PP's commitment that the some residential temporary sheds within the net total scheme in which people are residing they shall be considered during re-constitution of plots
- PP's commitment that the BOD level shall be maintaind upto 3.0 mg/l in the proposed STP, proposal for filter press.
- Revised plantation scheme & species of green area in the 13.579 Ha as suggested by the committee.
- PP's commitment that proposed project shall be developed inder Green Building Code-1.
- Gro-hydrological study has not been done for the project properly.
- Estimate the vehicle pollution in terms of ECS and their pollution management,
- Contribution of solar light w.r.t. total power consumption & no. of poles and lights,
- Carbon footprint assessment & their source and mitigation measure,
- Revised wastewater calculation & new design and technology of STP with proper justification.
- Justification regarding incremental value of all the 5 parameters of the air.
- Revised the CER scheme as suggested by the committee.

19. Case No 9929/2023 M/s. Invenire Petrodyne Ltd, 611, Reliables Pride, Anand Nagar, Jogeshwari (W) Mumbai 400102. Prior Environment Clearance for drilling of 25 nos. of Coalbed Methane (CBM) Exploration in Block SP-ONHP(CBM)-2021/1 (Satpura CBM Block), Madhya Pradesh. Districts Covered: Spread across Chhindwara, Betul and Hoshangabad (No exploratory drilling proposed in Hoshangabad).

This is case of Prior Environment Clearance for drilling of 25 nos. of Coalbed Methane (CBM) Exploration corehole/test wells in Block SP-ONHP(CBM)-2021/1 (Satpura CBM Block), Madhya Pradesh. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

The case was presented by Env. Consultant Shri Sameer Kadam from M/s. Kadam Environmental Consultants and PP Shri Krishnendu Chatterji from M/s. M/s. Invenire Petrodyne Ltd. Block SP-ONHP(CBM)-2021/1 (Satpura CBM Block), MP. PP submitted that this is a "greenfield" category project, involving fresh exploration activities (coreholes/testwells) • Project is termed under Schedule 1(b) – Offshore/Onshore Oil & Gas

exploration, development & production. Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) vide 2020 circular has notified off-shore and onshore oil & gas exploration as 'Category B2' Projects.

Proposed Exploration Work and salient Features of the Project:

- The Satpura CBM Block was acquired under Special CBM Bid Round 2021 by the Ministry of Petroleum and Natural Gas, of Govt. of India.
- It is a conscious acquisition to develop Natural Gas critical for domestic gas basket (heavily import dependent).
- CBM is cleanest form of Hydrocarbon and its extraction will make future coal mining environment safe
- IPL proposes drilling of 25 CBM exploratory corehole/test wells (considering large size of the block).
- Indicative expenditure is about Rs. 200 Crs. (exploratory drilling, testing, associated studies, early production).
- Proposed Site/Land Details Block Covers: 1770.89 km2
- District(s) Covered: Spread across Chhindwara, Betul and Hoshangabad (No exploratory drilling proposed in Hoshangabad).
- This project comprises exploratory drilling for which temporary basis land lease will be required.
- Hence, at this stage it is outside the purview of green belt creation or maintenance requirements.
- None of the proposed CBM wells falls under Forest area.
- The broad contours of the site management and restoration plan to ensure that the disturbance to land use and land cover is minimal.

After detail discussion and deliberation, committee asked PP to submit the following information/clarification for further consideration of the project:

- 1. Block size has proposed as 30 Meters X30 Meters and trees are existed within these blocks hence, PP shall submit trees inventory and if any tree felling is proposed then submit locations and tree numbers where these shall be planted and if no tree felling is proposed then PP's commitment in this regard.
- 2. Invenire Petrodyne Ltd proposes drilling of 25 CBM exploratory corehole/test wells, which are proposed on farmer's private land owners hence, submit document of agreement between M/s. Invenire Petrodyne Ltd. and private land owners which shall be validated by District Collector.

- 3. Explore the possibility of disposing drill cuttings through centralize facility as proposed for disposal of used/waste oil.
- 4. What is the post closure monitoring protocol of Drill cuttings lined pits after handing over the area to its original occupants?
- 5. Volume of drill mud to be refilled in the wells and management plan for left over drill mud.
- 6. How zero discharge will be maintained and is it possible to reuse treated waste water for mud preparation to reduce fresh water demands.
- 7. Reclamation plan of the site after drilling operations with time schedule.
- 8. Worst case of scenario w.r.t. to hydrocarbon escaping during exploration and their mitigation plan.
- 9. Commitment that fresh water requirement for the operation will not be through ground water sources.
- 10. If any exploratory core hole/test well does not found any CBM then how PP can reclaim the excavated well.

The project proponent submitted clarification on 14.07.2023 on PARIVESH Portal, which was asked by the SEAC in the 650th meeting held on 08.06.2023.

The query reply was presented by the PP Shri Krishnendu Chatterji from M/s. Invenire Petrodyne Ltd. Block SP-ONHP(CBM)-2021/1 (Satpura CBM Block), MP and Env. Consultant Shri Sameer Kadam from M/s. Kadam Environmental Consultants. The PP submitted following query reply:

Sr. No.	ADS Query	Response
1.	Block size has proposed as 30 Meters X 30 Meters and trees are existed within these blocks hence, PP shall submit trees inventory and if any tree felling is proposed then submit locations and tree numbers where these shall be planted and if no tree felling is proposed then PP's commitment in this regard.	Undertaking that no trees will be cut for the proposed project.
2.	Invenire Petrodyne Ltd. proposes drilling of 25 CBM exploratory corehole /test wells, which are proposed on farmer's private land owners hence, submit document of	 A. This is an <i>EXPLORATION PROJECT</i> to explore for CBM gas potential in the coal seams. B. Exploration Project is categorised as 'B2 Project' pursuant to Jan 16, 2020 Gazette Notification by the Govt. of India for fast-tracking exploration phase.**

	agreement between M/s. Invenire Petrodyne Ltd. and private land owners which shall be validated by District Collector.	 C. Given multitude of uncertainties inherent in such an Exploration Project, the objective is to drill exploration coreholes in multiple drilling campaigns spread over several phases over a designated 3 year Exploration time window. D. Thus, results of coreholes in 1st drilling campaign would help in determining the locations of 2nd drilling campaign and so on. E. Effectively, this is the standard industry practice of assessment of CBM prospects and reducing risks progressively by conversion of 'unknown' to 'known' potential. F. We propose 25 locations together in our B2 EC Application for administrative ease. G. However, under industry practice, these slimholes will be drilled in phases (batches of 3 to 5). H. These slimholes are parametric for data generation and establish resources and ARE NOT FOR PRODUCTION. Once this data-generation objective is fulfilled, these slimholes are plugged and restored. I. Exploration Projects can have either +ve or -ve outcome and therefore, the Project Sponsor carry out drilling of exploration coreholes through lease arrangement of each such batch of coreholes. There is no outright purchase of land involved. J. Upon successful Exploration Phase (3 years) and establishing gas resources the Project shall move to Development & Production Phase, which entails a comprehensive EC process (with Public Hearing etc.)
3.	Explore the possibility of disposing drill cuttings through centralize facility as proposed for disposal of used/waste oil.	IPL would look into the feasibility and adoption of this option.
4.	What is the post closure monitoring protocol of Drill cuttings lined pits after handing over the area to its original occupants?	The following steps are adopted post completion of drilling and dismantling of the rig. a. The waste residual mud and drill cuttings collected in the HDPE lined waste pit are allowed to dry and covered with native top soil.

		b. The site is restored as near as possible to the original state as per the approved restoration procedure of IPL in line with the Govt. of India Good Industrial Petroleum Industry Practices (GIPIP).	
5.	Volume of drill mud to be refilled in the wells and management plan for left over drill mud.	IPL shall use water-based mud system for drilling and is environmental friendly. We will maxmise recycling / reuse of the mud for both environmental and economic reasons.	
6.	How zero discharge will be maintained and is it possible to reuse treated waste water for mud preparation to reduce fresh water demands.	IPL will use wastewater for mud preparation and reuse of existing mud is the new normal besides being a cost effective practice.	
7.	Reclamation plan of the site after drilling operations with time schedule.	Reclamation Plan has been submitted; typically, the process takes a maximum of 2-3 weeks for restoration activities.	
8.	Worst case of scenario w.r.t. to hydrocarbon escaping during exploration and their mitigation plan.	Escape of CBM during exploration test well is a 6sigma event and technically not feasible due to following: CBM is adsorbed in the coal seams and can only be produced upon dewatering. Gas pressures are low (below hydrostatic and even less than 3 bar) and requires artificial lift. No CBM site has recorded any escape scenario worldwide. However, as abundant safety provision, IPL whilst drilling coal reservoir section shall have	
9.	Commitment that fresh water requirement for the operation will not be through ground water sources.	1	
10.	If any exploratory corehole / test well does not found any CBM then how PP can reclaim the excavated well.		

- A. This is an EXPLORATION PROJECT to explore for CBM gas potential in the coal seams.
- B. Exploration Project is categorised as 'B2 Project' pursuant to Jan 16, 2020 Gazette Notification by the Govt. of India for fast-tracking exploration phase.**

- C. Given multitude of uncertainties inherent in such an Exploration Project, the objective is to drill exploration coreholes in multiple drilling campaigns spread over several phases over a designated 3 year Exploration time window.
- D. Thus, results of coreholes in 1st drilling campaign would help in determining the locations of 2nd drilling campaign and so on.
- E. Effectively, this is the standard industry practice of assessment of CBM prospects and reducing risks progressively by conversion of 'unknown' to 'known' potential.

After deliberations, the submissions and presentation made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for **grant of Prior Environment Clearance for drilling of 25 nos. of Coalbed Methane (CBM) corehoes/testwells in Exploration in Block SP-ONHP(CBM)-2021/1 (Satpura CBM Block), Madhya Pradesh. Districts Covered: Spread across Chhindwara, Betul and Hoshangabad (No exploratory drilling proposed in Hoshangabad).** Category: 1(b) Offshore and Onshore and gas exploration, development & production Project, with following standard conditions:

Statutory compliance:

- I. The project proponent shall obtain forest clearance under the provisions of Forest (Conservation) Act, 1986, in case of the diversion of forest land for non-forest purpose involved in the project. (If applicable)
- II. The project proponent shall obtain clearance from the National Board for Wildlife, if applicable. (If applicable)
- III. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State pollution Control Board/ Committee.
- IV. Necessary authorization required under the Hazardous and Other Wastes (Management and Trans-Boundary Movement) Rules, 2016, Solid Waste Management Rules, 2016 shall be obtained and the provisions contained in the Rules shall be strictly adhered to.

Air quality monitoring and preservation:

- I. The National Ambient Air Quality Emission Standards issued by the Ministry vide G.S.R. No. 826(E) dated 16th November, 2009 shall be complied with
- II. To control source and the fugitive emissions, suitable pollution control devices shall be installed to meet the prescribed norms and/or the NAAQS. Sulphur content

- should not exceed 0.5% in the coal for use in coal fired boilers to control particulate emissions within permissible limits (as applicable). The gaseous emissions shall be dispersed through stack of adequate height as per CPCB/SPCB guidelines
- III. The locations of ambient air quality monitoring stations shall be decided in consultation with the State Pollution Control Board (SPCB) and it shall be ensured that at least one stations each is installed in the upwind and downwind direction as well as where maximum ground level concentrations are anticipated.
- IV. Ambient air quality shall be monitored at the nearest human settlements as per the National Ambient Air Quality Emission Standards issued by the Ministry vide G.S.R. No. 826(E) dated 16th November, 2009 for PM<0, PM2.5, SO2, NOX, CO, CH4. HC, Non-methane HC etc
- V. During exploration, production, storage and handling, the fugitive emission of methane, if any, shall be monitored using Infra-red camera/ appropriate technology.
- VI. The project proponent also to ensure trapping/storing of the CO2 generated, if any, during the process and handling.
- VII. On approach road water sprinkling is carried out regularly to minimize generation of suspended dust.

Water quality monitoring and preservation:

- I. As proposed by the project proponent, Zero Liquid Discharge shall be ensured and no waste/treated water shall be discharged to any surface water body, sea and/or on land. Domestic sewage shall be disposed off through septic tank/soak pit.
- II. The effluent discharge shall conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, or as specified by the State Pollution Control Board while granting Consent under the Air/Water Act, whichever is more stringent.
- III. Total fresh water requirement shall not exceed the proposed quantity or as specified by the Committee. Prior permission shall be obtained from the concerned regulatory authority/CGWA in this regard.
- IV. Drill cuttings separated from drilling fluid shall be adequately washed and disposed in HDPE lined pit. Waste mud shall be tested for hazardous contaminants and disposed according to HWMH Rules, 2016. No effluent/drilling mud/drill cutting shall be discharged/disposed off into nearby surface water bodies. The company shall comply with the guidelines for disposal of solid waste, drill cutting and drilling fluids for onshore drilling operation notified vide GSR.546(E) dated 30 th August, 2005.

Noise monitoring and prevention:

- I. The company shall make all arrangements for control of noise from the drilling activity. Acoustic enclosure shall be provided for the DG sets along with the adequate stack height as per CPCB guidelines.
- II. The overall noise levels in and around the plant area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation.
- III. The ambient noise levels shall conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Act, 1986 Rules, 1989 viz. 75 dBA (day time) and 70 dBA (night time).

Energy Conservation measures:

I. The energy sources for lighting purposes shall preferably be LED based

Waste management:

- I. Barite waste containing mercury and cadmium shall be analyzed for its hazardous constituents and if exceeds the permissible limits, shall be disposed off in CTSDF or as decided by M. P. Pollution Control Board.
- II. Oil spillage prevention and mitigation scheme shall be prepared. In case of oil spillage/ contamination, action plan shall be prepared to clean the site by adopting proven technology. The recyclable waste (oily sludge) and spent oil shall be disposed of to the authorized recyclers.
- III. Oil content in the drill cuttings shall be monitored by some Authorized agency and report shall be sent to the Regional Office of MoEF&CC, Govt. of India as a part of six monthly compliance reports.

Green Belt Development:

I. For Green Belt Development PP has proposed 2500 nos. of sapling (100 nos of sapling x 25 nos. of wells =2500 nos.) shall be planted.

S. No.	Description	Approximate cost of each sapling (Rs)	No. of Sanlings to	Estimated Cost (Rs)
1	Green Belt Development in surrounding area per well site	250	100 nos of sapling x 25 nos. of wells =	6,25,000

		2500 nos of sapling	
Total	-		6,25,000

Details of Tree species proposed for Green belt:

S. No	Plant Species	Local/Hindi Name	Max Height (m)	Туре
1.	Albizia lebbeck	Siris	20	Tree
2.	Albizia saman	Rain tree	20	Tree
3.	Azardirachta indica	Neem	20	Tree
4.	Bauhinia varigata	Kachnar	5	Tree
5.	Emblica officinalis	Amla	5	Tree
6.	Ficus bengalensis	Banyan	20	Tree
7.	Ficus religiosa	Peepal	20	Tree
8.	Mangifera indica	Aam	15	Tree
9.	Polyalthia longifolia	Ashoka	15	Tree
10.	Pongamia pinnata	Karanj	10	tree
11.	Saraca asoka	Asoka	5	Tree
12.	Syzygium cumini	Jamun	20	Tree

Safety and Human health issues:

I. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

- II. Blow-Out Preventer system shall be installed to prevent well blow outs during drilling operations. BOP measures during drilling shall focus on maintaining well bore hydrostatic pressure by proper pre-well planning and drilling fluid logging etc.
- III. Company shall prepare operating manual in respect of all activities, which would cover all safety & environment related issues and measures to be taken for protection. One set of environmental manual shall be made available at the drilling site/ project site. Awareness shall be created at each level of the management. All the schedules and results of environmental monitoring shall be available at the project site office. Remote monitoring of site should be done.
- IV. On completion of drilling, the company has to plug the drilled wells safely conforming to OMR 1984 guidelines.
- V. The company shall take measures after completion of drilling process by well plugging and secured enclosures, decommissioning of rig upon abandonment of the well and drilling site shall be restored the area in original condition. In the event that no economic quantity of hydrocarbon is found a full abandonment plan shall be implemented for the drilling site in accordance with the applicable Indian Petroleum Regulations
- VI. The Company shall take necessary measures to prevent fire hazards, containing oil spill and soil remediation as needed. Possibility of using ground flare shall be explored. At the place of ground flaring, the overhead flaring stack with knockout drums shall be installed to minimize gaseous emissions during operation
- VII. Training shall be imparted to all employees on safety and health aspects of chemicals handling. Pre-employment and routine periodical medical examinations for all employees shall be undertaken on regular basis. Training to all employees on handling of chemicals shall be imparted.
- VIII. The company shall develop a contingency plan for H₂S release including all necessary aspects from evacuation to resumption of normal operations. The workers shall be provided with persona) H2S detectors in locations of high risk of exposure along with self-containing breathing apparatus
 - IX. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.
 - X. The Company shall carry out long term subsidence study by collecting base line data before initiating drilling operation till the project lasts. The data so collected shall be submitted to the Regional Office of MoEF&CC, Govt. of India as a part of six monthly compliance.

EMP& CER

II. A budgetary provision of Rs. 26.00 lakhs per year is made for Environmental Management Plan (Expenditure on Environmental Matters).

Sr. No.	Pollution Control Measures	Total Capital cost (₹)/year
1	Water Quality Monitoring	1,00,000
2	HDPE Lined waste Pit	20,00,000
3	Air Monitoring	50,000
4	Training to Staff	3,00,000
5	TCLP Test	50,000
6	Stack Emission Analysis	1,00,000
Tota	al	26,00,000

- III. PP has proposed following physical targets based on public hearing under Corporate Environment Responsibility (CER).
 - According to the CER office memorandum dated 01st May, 2018 of MOEFCC the CER budget for 6 years (3 years exploration phase and 3 years appraisal phase) comes to 3.00 crores i.e. 1.5% of project cost INR 200 crores.

Corporate Environment Responsibility	Total (INR in crores)
Education	0.90
Health and Hygiene	0.90
Waste Management system	0.30
Infrastructure Development	0.90
Total	3.00

- IV. For Green Belt Development PP has proposed Rs. 6.25 lakhs and about 2500 nos. of sapling (100 nos of sapling x 25 nos. of wells =2500 nos.) shall be planted.
- V. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-1 A.III dated 1s May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
- VI. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental / forest / wildlife norms /

- conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / or shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.
- VII. A separate Environmental Cell equipped with full-fledged laboratory facilities shall be set up to carry out the Environmental Management and Monitoring functions, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization,
- VIII. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the MoEF&CC, Govt. of India along with the Six-Monthly Compliance Report.
 - IX. Self-environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

Miscellaneous

- I. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company.
- II. The project proponent shall inform Regional Office as well as MoEF&CC, Govt. of India the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.
- III. Restoration of the project site shall be carried out satisfactorily and report shall be sent to the Regional Office of MoEF&CC, Govt. of India.
- IV. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the State Pollution Control Board and the State Government.
- V. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the PFR report and also that during their presentation to the State Level Expert Appraisal Committee.
- VI. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- VII. The MoEF&CC reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

- VIII. The Regional Office of the MoEF&CC, Govt. of India shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information/monitoring reports.
 - IX. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चाः-

In case of the sand mine cases, the committee is of the opinion that:

- 1. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level.
- 2. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including the persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.

(चंद्र मोहन ठाकुर) सदस्य सचिव (डॉ. पी.सी. दुबे) अध्यक्ष

<u>Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:</u>

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

- 1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
- 4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
- 6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
- 8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
- 9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
- 10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
- 11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
- 15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
- 16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
- 24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
- 25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
- 29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
- 30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

- 34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

- 1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
- 5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
- 8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
- 9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
- 10. PP shall carry out independent environmental audit at least once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
- 11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
- 13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
- 14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
- 15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

- 16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
- 18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
- 19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
- 27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - 1. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

- vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
- vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
- viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
- 31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

- 1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
- 2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
- 3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
- 4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
- 7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.

- 10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
- 12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
- 14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work

- permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme
- 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

- 1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
- 2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
- 3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, waterbodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
- 4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
- 5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
- 6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
- 8. All documents should be properly indexed, page numbered.
- 9. Period/date of data collection should be clearly indicated.

- 10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
- 11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
- 12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
- 13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
- 14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
- 15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
- 16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
- 17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
- 18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
- 19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
- 20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
- 21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
- 22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
- 23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
- 25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
- 28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
- 29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna.
- 30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).

- 31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
- 32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
- 33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
- 34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
- 35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
- 36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA, following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.

- 38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
- 39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
- 40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :--

- नोट 1:- स्थल विशेष हेत् प्रजातियों के चयन में स्थानीय मुदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3:- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मिल्चंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4:— परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5:— भू—क्षरण स्थल पाये जाने पर भू—संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6:- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 — 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 — 05.5 फिट	05—10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई—गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		
	तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंक्रण पश्चात् 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट - 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास प्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामन, कहवा, कंरज, नीम, पौधों में पौधों की दरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोडा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियाँ, खस घास अगेव	
	आदि)	में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फੀਟर
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बाँस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में
		पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर